न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास

12/11/20
7.12.20
10/12/20
14.12.20

दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० वाद संख्या ..206../ 2020

प्रथम पक्ष :– 1. प्रफुल्ल कुमार माहथा, पे० स्व० सर्वेश्वर माहथा 2. जयन्त लाल शर्मा, 3. बसंत माहथा दोनों के पिता स्व० ठाकुर लाल शर्मा सभी सा० तियारा, थाना चास (मु०), जिला बोकारो।

–: बनाम :–

द्वितीय पक्ष :– 1. नन्दकिशोर माहथा पिता स्व० किष्टो उर्फ कृष्णा माहथा 2. कामदेव शर्मा 3. हलदर शर्मा 4. महावीर शर्मा 5. बिरंची शर्मा चारों पिता नन्दकिशोर माहथा सभी सा० तियारा, थाना चास (मु०), जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास (मु०) थाना का अप्राथमिकी संख्या 09 / 20 जो पुलिस निरिक्षक चास मु० अंचल बोकारो के माध्यम से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरूद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

राजस्व ग्राम / मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	रकवा
तियारा	चास(मु०)	36	187,188,189	लगभग 01 एकड़

चौहद्दी:–

उत्तर – सीताराम शर्मा वगैरह के परती जमीन, **दक्षिण**– मुख्य पक्की सड़क, **पश्चिम**– सुनील रजवार का छतदार मकान , **पूरब**– DAV स्कूल,

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 22/10/20 .... को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष्य कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

22/10/2020 सूचना का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है। SC हेतु समय का आवेदन है। द्वितीय पक्ष के पाँच सदस्य का हाजरी है। SC हेतु समय का आवेदन है। दिनांक 12/11/2020 को रखें।

S.D.M
Chas

Office File -SDO Office-2018-19- S.D.M. Court - 144 Crpc Proceeding & Notice

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20 प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है। तथा S/c हेतू समय का आवेदन है।. द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है, तथा S/c हेतू समय का आवेदन है। पुण: S/c दाखील किया गया है।. दिनांक-7.12.2020 को रखें।. SDM Chas	
7/12/2020 प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है तथा S/c दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है। दिनांक 10/12/2020 को रखे S.D.M Chas	
10/12/20 द्वितीय पक्ष के चार सदस्य का हाजरी है प्रथम पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है। दिनांक 14/12/2020 को रखे S.D.M Chas	
14/12/2020 Sec 144 is imposed since more than 60 days ~~since~~ Sec 144 is time bound in nature hence case is dropped. SDM 14/12/2020	17/12/20

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.23 16.14.55 +05:30
Location: 192.168.1.3

Si
SI.